न्यायमूर्ति आलोक सिंह, के समक्ष

रिलायंस जनरल इंश्योरेंसकॉम कंपनी- ***याचिकाकर्ता***

बनाम

विजय कुमार और अन्य – उत्तरदाता

2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 20825

जनवरी 4,2012

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 और 22 7 - कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 198 7 - Ss.20, 20C, 22A, 2211, 22C, 22D, 22E - प्रतिवादी ने बीमा कंपनी से चिकित्सा दावे की वसूली के लिए पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22C के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया - बीमा कंपनी ने लोक अदालत के समक्ष जवाब दायर किया, यह स्टैंड लेते हुए कि दावा फर्जी और झूठा था - विशिष्ट दलील ली गई कि दावे पर लोक अदालत द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता है, विस्तृत साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता के अनुसार - लोक अदालत ने योग्यता के आधार पर दावे का निर्णय लिया और प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ 24,509/- रुपये की राशि प्रदान की - बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लोक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने माना कि लोक अदालत द्वारा अधिनिर्णय संभवतः धारा 22 सी (8) के तहत खराब है, क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा दावे को गलत के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था - सुलह के दौरान विवाद का कोई संकुचन नहीं था जैसा कि उप-धारा 4 के तहत विचार किया गया था, धारा 22C के 5, 6 और 7, लोक अदालत को S.22C(8) का सहारा लेने में सक्षम बनाता है - यदि दावे को एकमुश्त अस्वीकार कर दिया जाता है, तो लोक अदालत के साथ S.22C की उप-धारा 8 को लागू करने और समझौते के किसी भी तत्व के बिना योग्यता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - दावेदार उचित मंच से संपर्क कर सकता है - याचिका की अनुमति दी गई।

माना जाता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की दृष्टि पीठ के फैसले के साथ-साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से, यह इस प्रकार स्पष्ट है कि पीएलए के पास सीधे धारा 22 सी (8) को लागू करने और योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; यदि मामले में तथ्यों और कानून के विवादित प्रश्न शामिल हैं तो पीएलए आगे नहीं बढ़ेगा धारा 22ग की उपधारा (8) को लागू करके शुरू से ही गुणा-दोष के आधार पर मामले का निर्णय किया जाएगा और पक्षकारों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने का निदेश देगा।

(पैरा 19)

आगे कहा गया है कि यदि नोटिस पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाता दावे की वास्तविकता पर विवाद नहीं

करता है और दलील के साथ आता है तो दावेदार दावा की गई राशि का हकदार नहीं है, हालांकि, कम राशि का हकदार है और सुलह के लिए सहमत है पीएलए पीयूएस उप-धारा (4) के तहत सुलह कार्यवाही शुरू करेगा और पार्टियों को समझौते तक पहुंचने में सहायता करेगा। इसके बाद, यदि पीएलए पीयूएस पाता है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है, तो यह उपधारा (7) के तहत संभावित निपटान की शर्तों को तैयार करेगा और पार्टियों को उनकी संबंधित राय के लिए आपूर्ति करेगा। यदि पीएलए द्वारा तैयार किए गए संभावित निपटान की शर्तों को प्राप्त करने के बाद, पीयूएस पार्टियों ने अपने संबंधित दावों को कम कर दिया है और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो पीएलए पीयूएस धारा 22 सी (8) को लागू करके मतभेदों को तय करने के लिए आगे बढ़ेगा और निष्पक्ष खेल, इक्विटी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करके योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित करेगा, अधिनियम की धारा 22घ के अंतर्गत यथा उपबंधित वस्तुनिष्ठता।

(पैरा 20)

इसके अलावा, उदाहरण के लिए यदि दावेदार बीमा कंपनी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में राशि 'ए' का दावा कर रहा है और बीमा कंपनी दावे को फर्जी कहने से इनकार कर रही है; दावेदार किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं है। पीएलए पीयूएस कार्यवाही को उसी समय छोड़ देगा और उप-धारा (4) (7) और (8) के तहत आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि, अगर बीमा कंपनी राशि के बजाय याचिका के साथ आ रही है एक दावेदार कुछ कम राशि का हकदार है राशि बी और पीएलए पीयूएस की सहायता से उप-धारा (4), (5), (6) और (7) के तहत शुरू की गई सुलह कार्यवाही के दौरान दावेदार और बीमा कंपनी के बीच अंतर को कम कर दिया गया है और पार्टियां अंतिम आंकड़े तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, पीएलए पीयू उप-धारा (8) को लागू करके अधिनियम की धारा 22 डी के तहत प्रदान किए गए निष्पक्ष खेल, इक्विटी, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता के सिद्धांत को लागू करके अंतिम राशि का निर्णय कर सकता है।

(पैरा 21)

आगे कहा गया, कि मेरी विनम्र राय में मैंने उप-धाराओं (4), (5), (6) और (7) के तहत शुरू और आयोजित सुलह कार्यवाही के दौरान अपने विवादों को कम कर दिया है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे हैं कि यह पीएलए पीयूएस को उपधारा (8) को लागू करने के लिए अधिकार क्षेत्र देगा ताकि निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों को लागू करके अंततः मार्जिन तय किया जा सके, अधिनियम की धारा 220 के तहत प्रदान की गई इक्विटी, प्राकृतिक न्याय, वस्तुनिष्ठता। ऐसी स्थिति में अंतिम आंकड़े पर आने के लिए किसी लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(पैरा 24)

आगे कहा गया है कि वर्तमान समय में, बीमा कंपनी द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि लोक अदालत वर्तमान विवाद का फैसला नहीं कर सकती है क्योंकि दावे को साबित करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता होती है। उप-धारा (4) के तहत कभी भी कोई सुलह कार्यवाही शुरू नहीं की गई, पीएलए पीयूएस ने कभी भी सहायता नहीं की, पार्टियों को उप-धारा (5) और (6) के तहत सौहार्दपूर्ण निपटान की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देशित किया। न ही पीएलए पीयूएस ने कभी यह राय दी कि सौहार्दपूर्ण निपटान की संभावना थी और न ही पीएलए

पीयूएस ने कभी भी उप-धारा (7) के तहत आवश्यक संभावित निपटान की शर्तें तैयार की हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पीएलए पीयूएस ने उपधारा (4), (5), (6) और (7) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे उप-धारा (8) को लागू किया है और मामले को योग्यता के आधार पर तय किया है जैसे कि पीएलए पीयूएस नियमित अदालत है। इसलिए, कानून की नजर में आक्षेपित पुरस्कार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 25)

याचिकाकर्ता के वकील पी.एम.

एस.के. बावा, अधिवक्ता, संवाददाता नंबर 1.

निर्णय

न्यायमूर्ति आलोक सिंह,

1) याचिकाकर्ता बीमा कंपनी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, जिसमें स्थायी लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज) (इसके बाद 'पीएलए पीयूएस' के रूप में संदर्भित), गुड़गांव द्वारा पारित दिनांक 27.07.2010 के फैसले का विरोध किया गया है।

2) संक्षिप्त तथ्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कि प्रतिवादी नंबर 1-विजय कुमार ने कानूनी सेवा प्राधिकरण ए सीटी 1987 (इसके बाद 'अधिनियम 1 के रूप में संदर्भित) की धारा 22 सी के तहत पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बीमा कंपनी से 23,726/- रुपये की वसूली के लिए मेडि-क्लेम के कारण 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ; अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें यह तर्क देते हुए कि दावेदार (प्रतिवादी नं। मैं यहां 05-05-2009 से मध्यरात्रि 04-05-2010 तक की अवधि के लिए 1 लाख रुपये की राशि के लिए मेडि-क्लेम संख्या 282510413811 कर रहा था; दावेदार को उच्च श्रेणी के बुखार और उत्पादक खांसी के साथ उल्टी के साथ सांस लेने में कई कठिनाई का सामना करना पड़ा और तीव्र ब्रोंकाइटिस की आसानी के रूप में जांच पर निदान किया गया; वह गाड़ी अस्पताल 1, डूंडाहेड़ा, गुड़गांव में भर्ती कराया गया और 30-11-2009 तक भर्ती रहा और उसके उपचार पर 24,509/- रुपये की राशि खर्च की गई।

3) बीमा कंपनी ने लोक अदालत के समक्ष लिखित बयान दायर किया था जिसमें दावा याचिका में की गई दलीलों से इनकार किया गया था और विशिष्ट रुख अपनाया है कि बीमा कंपनी द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच की गई थी और दावेदार का दावा फर्जी और वास्तविक नहीं पाया गया था। बीमा कंपनी द्वारा यह भी कहा गया था कि विचाराधीन अस्पताल दावेदारों को गलत, झूठे और फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने में लिप्त था, जिससे वे बीमा कंपनियों के खिलाफ झूठे दावे कर सकें। जवाब के पैराग्राफ नंबर 10 में बीमा कंपनी की विशिष्ट दलील यह है कि पीएलए पीयूएस द्वारा शिकायत का फैसला नहीं किया जा सकता है क्योंकि दावेदार के दावे को सही ठहराने और साबित करने के लिए सबूत और जिरह की आवश्यकता होगी

4) विद्वान लोक अदालत ने पैराग्राफ संख्या 4 और 5 में आक्षेपित निर्णय में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"4. हमने पक्षकारों के वकील को सुना है और दलीलों और दस्तावेजों का अध्ययन किया है। यह विवादित नहीं है कि आवेदक के पास प्रतिवादी से मेडि-क्लेम पॉलिसी थी। अस्पताल में आवेदक का प्रवेश भी विवादित नहीं है। पॉलिसी कैशलेस नहीं बनाई गई है। आवेदक का दिनांक 26-11-2009 से 30-11-2009 तक उपचार चल रहा था। उन्होंने अपने उपचार पर 24,509/- रुपये खर्च किए हैं जैसा कि प्रस्तुत बिल की प्रति से स्पष्ट है।

5. इसलिए हम प्रतिवादी को आवेदन शुरू होने की तारीख से भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ आवेदक को '24,509/- ('चौबीस हजार पांच सौ नौ मात्र) की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है। फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

5) *न्यायाधीश* ने कहा, "मैंने पक्षों के वकील को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि लोक अदालत ने योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित किया है; पुरस्कार पार्टियों के बीच समझौते या समझौते के अनुसार पारित किया जा सकता है न कि योग्यता के आधार पर।

7) प्रतिवादी-दावेदार के विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 22 सी (8), धारा 22 डी और 22 ई के संयुक्त पढ़ने से यह सुझाव मिलेगा कि भले ही पार्टियां समझौते तक पहुंचने में विफल हों, लोक अदालत योग्यता के आधार पर आसानी का फैसला करेगी। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 22 सी की उप-धारा (8) पढ़ती है, *"जहां पार्टियां सभी समझौते तक पहुंचने में विफल रहती हैं। स्थायी लोक अदालत विवाद का फैसला करेगी"*; धारा 220 आगे पढ़ती है *"सुलह की कार्यवाही करते समय, या योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करते समय" यह साबित करने के लिए जाता है कि पीएलए पीयूएस योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला कर सकता है; आगे तर्क दिया गया है कि धारा 22 ई की भाषा"* स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार या तो योग्यता के आधार पर या एक समझौता समझौते के संदर्भ में *अंतिम होगा*" यह दर्शाता है कि स्थायी लोक अदालत योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला कर सकती है यदि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं।

8) आगे बढ़ने से पहले, यह न्यायालय यह बताना चाहेगा कि यह न्यायालय यह जानकर हैरान है कि पीएलए पीयूएस द्वारा आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिसमें पीएलए ने दावों को बिना किसी समझौते या समझौते के मेरिट के आधार पर स्थगित कर दिया है। ऐसा लगता है कि पीएलए पीयूएस की प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र को लेकर काफी मतभेद हैं।

9) अधिनियम के अनुसार विवादों को क्रमशः धारा 20 के साथ-साथ धारा 20 सी के तहत लोक अदालत या पीएलए-पीयूएस को संदर्भित करने के दो चरण हैं, सबसे पहले मैं अधिनियम की धारा 20 के अनुसार लंबित आसानी से लोक अदालत के संदर्भ पर बात करना चाहूंगा। लंबित मामले में संदर्भ

10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पंजाब राज्य*** बनाम ***जालौर सिंह* मामले में** पैरा 8 और 9 में निम्नानुसार

[1] 2008 (2) एससीसी 660

टिप्पणी की है -

"8. उक्त उपबंधों से यह स्पष्ट है कि लोक अदालतों के कोई न्यायिक या न्यायिक कृत्य नहीं हैं। वहाँ कार्य विशुद्ध रूप से सुलह से संबंधित हैं। एक लोक अदालत अपने उदाहरण पर पार्टियों के बीच एक समझौते या समझौते के आधार पर एक संदर्भ निर्धारित करती है, और समझौता या निपटान के संदर्भ में एक पुरस्कार बनाकर पुष्टि की अपनी मुहर लगाती है। जब लोक अदालत किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने में सक्षम नहीं होती है, तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है और कानून के अनुसार निपटान के लिए केस रिकॉर्ड उस अदालत को वापस कर दिया जाता है जहां से संदर्भ प्राप्त हुआ था। किसी भी लोक अदालत के पास मामलों का फैसला करने के लिए पक्षों को "सुनने" की शक्ति नहीं है जैसा कि अदालत करती है। यह पार्टियों के साथ विषय वस्तु पर चर्चा करता है और उन्हें एक उचित समझौते पर पहुंचने के लिए राजी करता है। अपनी समझौतावादी भूमिका में, लोक अदालतें न्याय, समानता, निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती हैं। जब लोक न्यायालय अधिनियम लोक अदालत द्वारा अवधारण और लोक अदालत द्वारा अधिनिर्णय का उल्लेख करता है, तो उक्त अधिनियम पर विचार नहीं किया जाता है और न ही एक न्यायिक निर्धारण की आवश्यकता होती है, लेकिन एक समझौते या समझौते के आधार पर एक गैर-न्यायिक निर्धारण, पार्टियों द्वारा लोक अदालत से मार्गदर्शन और सहायता के साथ किया जाता है। लोक अदालत के पुरस्कार का मतलब किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी भी स्वतंत्र निर्णय या राय पर पहुंचना नहीं है, पुरस्कार का निर्माण लोक अदालत की उपस्थिति में पार्टियों द्वारा सहमत निपटान या समझौते की शर्तों को शामिल करने का लगभग एक प्रशासनिक कार्य है, लोक अदालत के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक निष्पादन योग्य आदेश के रूप में।

9. <u>लेकिन हम पाते हैं कि कई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोक अदालतों में भाग लेते समय लोक अदालतों का संचालन करते हैं क्योंकि सदस्य पक्षों की सुनवाई करके और पक्षकारों के लिए क्या उचित और न्यायसंगत है, इस पर अपने विचार थोपकर लोक अदालत का संचालन करते हैं। कभी-कभी वे बहक जाते हैं और इस मामले में गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, भले ही कोई आम सहमति न हो। इस तरह के कृत्य लोक अदालतों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के बजाय, लोक अदालतों से वादी का रास्ता तय करेंगे। लोक अदालतों को न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के अपने प्रलोभन का विरोध करना चाहिए और लगातार सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोक अदालत का प्रयास और प्रयास न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के संदर्भ में पक्षकारों को मार्गदर्शन और राजी करना होना चाहिए ताकि वे अपने संबंधित दावों के पक्ष और विपक्ष, ताकत और कमजोरियों, फायदे और नुकसान की व्याख्या करके विवाद को समझौता और निपटा सकें।</u>

11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य ***बनाम*** गणपत राज ***के मामले***[2] ***में और साथ ही भारत*** संघ बनाम अनंतो और अन्य ***के मामले में***[3] ***निम्नानुसार टिप्पणी की है***-

[2] 2006 (8) एससीसी 364
[3] 2007 (10) एससीसी 748

"7. धारा 20 की उपधारा (3) में प्रयुक्त विशिष्ट भाषा यह स्पष्ट करती है कि लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता करके किसी मामले का निपटारा कर सकती है। धारा 20 की उप-धारा (3) और (5) में दो महत्वपूर्ण शब्द 'समझौता' और 'समझौता' हैं। 'पूर्व अभिव्यक्ति का अर्थ है आपसी रियायतों द्वारा मतभेदों का निपटारा। यह मांगों के पारस्परिक संशोधन द्वारा परस्पर विरोधी या विरोधी दावों के समायोजन द्वारा किया गया समझौता है। टर्म्स डे ला ले के अनुसार, 'समझौता दो या दो से अधिक पक्षों का आपसी वादा है जो विवाद में हैं। बाउवियर के अनुसार यह 'दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है, जो एक कानूनी मुकदमे से बचने के लिए, अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं, ऐसी शर्तों पर जिन पर वे सहमत हो सकते हैं। समझौता शब्द का अर्थ है प्रत्येक पक्ष पर आवास का कुछ तत्व। पूर्ण समर्पण का वर्णन करना उपयुक्त नहीं है। (NFU विकास 'Trust I Ad., Re2 देखें। एक समझौता हमेशा द्विपक्षीय होता है और इसका मतलब आपसी समायोजन होता है। 'समझौता' आपसी सहमति से कानूनी कार्यवाही को समाप्त करना है। इस मामले में समझौता या समझौता शामिल नहीं था और लोक अदालत द्वारा इसका निपटारा नहीं किया जा सकता था। यदि कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

12) न्यायालय, मामले की सुनवाई कर रहा है, या तो पार्टियों की सहमति से या पार्टी के आवेदन पर, अन्य पक्ष को सुनने के बाद, संतुष्ट होने के बाद कि मामले को लोक अदालत के हस्तक्षेप से निपटाया जा सकता है, अधिनियम की धारा 20 के तहत या सीपीसी की धारा 89 के तहत मामले को लोक अदालत को भेज सकता है। लोक अदालत संभावित समाधान की शर्तें तैयार करेगी और पक्षकारों पर किसी भी जबरदस्ती या अनुचित दबाव का उपयोग किए बिना पार्टियों के बीच निपटान की संभावना का पता लगाएगी। यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुँचते हैं तो लोक अदालत एक अधिनिर्णय पारित करेगी। तथापि, यदि कोई समझौता नहीं होता है तो लोक अदालत उस न्यायालय को संदर्भ लौटा देगी जिससे लोक अदालत को निर्देश प्राप्त हुआ था।

13) यहां तक कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विनियम) 2009 के विनियम 13 के अनुसार, लोक अदालत को नियमित न्यायालय के रूप में अपने विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए पक्षकारों को सुनने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए, न्यायालय द्वारा भेजे गए संदर्भ की सुनवाई करते समय, लोक अदालत समझौता/आपसी समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए केवल सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेगी, लेकिन किसी भी मामले में लोक अदालत पक्षकारों पर समझौता करने या गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती है और सुलह की विफलता की स्थिति में संबंधित न्यायालय को संदर्भ वापस करना कर्तव्य है।

मुकदमेबाजी से पहले के संदर्भ

धारा 22क, 22ख, 22ग, 22घ और 22 ङ को यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

22A. *परिभाषाएँ:* *- इस अध्याय में और/या $' धारा 22 और 23 के उद्देश्य, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -*

a) "स्थायी लोक अदालत" से धारा 22त की उपधारा (ञ) के अधीन स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है।

b) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" का अर्थ है कि-

(i) हवाई, सड़क या पानी से माल के यात्रियों की ढुलाई के लिए परिवहन सेवा; नहीं तो

(ii) डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा; नहीं तो

(iii) किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या वालर की आपूर्ति;

नहीं तो

(iv) सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली; नहीं तो

(v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; नहीं तो

(vi) बीमा सेवा,

और इसमें कोई भी सेवा शामिल है जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है।

22B स्थायी लोक अदालत की स्थापना *– (1) धारा 19 में निहित किसी बात के होते हुए भी केंद्र/प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर और एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा।*

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(a) कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या रहा है या जिला न्यायाधीश से उच्च रैंक में न्यायिक पद धारण किया है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा; और

(b) सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा या यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकारी या यथास्थिति, राज्य प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार, केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण, ऐसी स्थायी लोक अदालत की स्थापना और अध्यक्ष और खंड (ञ) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

22 C स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान- *(1) विवाद का कोई पक्षकार, विवाद न्यायालय के समक्ष विवाद लाए जाने से पहले, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा:*

परन्तु स्थायी लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जो किसी विधि के अधीन शमनीय न हो:

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत का उस मामले में भी अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां विवाद में ठीक से दस लाख रुपये से अधिक है:

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रुपए की सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1) के तहत आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी विवाद में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन स्थायी लोक अदालत को आवेदन किया जाता है, वह-

a) आवेदन के प्रत्येक पक्ष को उसके समक्ष एक लिखित बयान दर्ज करने का निर्देश देगा, जिसमें आवेदन के तहत विवाद के तथ्यों और प्रकृति, ऐसे विवाद में बिंदु या मुद्दे और ऐसे बिंदुओं या मुद्दों के समर्थन में या विपक्ष में भरोसा किए गए आधार, जैसा भी मामला हो, और ऐसा पक्ष ऐसे बयान को किसी भी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य के साथ पूरक कर सकता है जो ऐसे पक्ष ऐसे तथ्यों और आधारों के प्रमाण में उचित समझे और इस तरह के बयान की एक प्रति इस तरह के दस्तावेज और अन्य साक्ष्य की एक प्रति के साथ, यदि कोई हो, आवेदक को प्रत्येक पक्ष को भेजेगा;

b) सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में आवेदन के किसी भी पक्ष को अतिरिक्त बयान दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है;

c) किसी भी पार्टी से प्राप्त किसी भी दस्तावेज या बयान को दूसरे पक्ष को आवेदन के लिए संप्रेषित करेगा, ताकि ऐसा अन्य पक्ष उस पर उत्तर प्रस्तुत कर सके।

(4) जब कथन, अतिरिक्त बयान और उत्तर, यदि कोई हो, उपधारा (3) के तहत दायर किया गया है, तो स्थायी लोक अदालत की संतुष्टि के लिए, यह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाही इस तरह से करेगा जैसा कि वह विवाद की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है।

(5) स्थायी। लोक अदालत उपधारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाहियों के संचालन के दौरान, पक्षकारों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के उनके प्रयास में सहायता करेगी।

(6) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद के समाधान में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत के साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुत करने के निदेश का अनुपालन करे।

(7) जब पूर्वोक्त सुलह कार्यवाहियों में एक स्थायी लोक अदालत की राय है कि ऐसी कार्यवाहियों में समझौते के तत्व

मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो यह विवाद के संभावित निपटान की शर्तों को तैयार कर सकता है और संबंधित पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए दे सकता है और यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, वे निपटान करार पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसकी शर्तों में एक पंचाट पारित करेगी और प्रत्येक संबंधित पक्ष को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

(8) जहां पक्षकार उपधारा (7) के अधीन किसी करार पर पहुंचने में विफल रहते हैं, वहां स्थायी लोक अदालत यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो विवाद का निर्णय करेगी।

***22D. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया**--स्थायी लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद का गुण-दोष के आधार पर सुलह कार्यवाहियां करते समय या विवाद का विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष व्यवहार, समता और न्याय के अन्य सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आबद्ध नहीं होगी, 1872 (1872 का 1)*

***22E. स्थायी लोक अदालत का अंतिम अधिनिर्णय** - (1) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या तो योग्यता के आधार पर या किसी निपटान करार के निबंधनों में अंतिम और बाध्यकारी होगा और उसके सभी पक्षकारों पर और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।*

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत से होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) स्थायी लोक अदालत अपने द्वारा किए गए किसी अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को पारेषित कर सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।

14) धारा 22 ए और 22 बी के अवलोकन से, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 22 ए (बी) के तहत प्रदान की गई एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो सकता है।

15) 15) पीएलए पीयूएस, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले, उचित आवेदन दायर करके विवाद के निपटारे के लिए पूर्व मुकदमेबाजी चरण में अधिनियम की धारा 22 सी (एल) के तहत संपर्क किया जा सकता है। उप-धारा (3) के तहत

पीएलए पीयूएस दोनों पक्षों को किसी भी दस्तावेज या साक्ष्य द्वारा समर्थित लिखित रूप में अपने बयान दर्ज करने का निर्देश देगा, जो पार्टियां अपने संबंधित दावों के समर्थन में दायर करना चाहती हैं। 1 धारा 22सी की उपधारा (4) और (5) के तहत प्राप्त बयान और साक्ष्य पीएलए पीयूएस सुलह की कार्यवाही शुरू करेगा और पक्षकारों को स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सहायता करेगा। पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सहायता करते समय लोक अदालत संबंधित पक्षकारों पर किसी प्रकार का दबाव या दबाव नहीं डालेगी। यदि सुलह कार्यवाही के दौरान लोक अदालत को यह पता चलता है कि उनके निपटान के तत्व जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, विवाद के संभावित निपटान की शर्तें तैयार करेंगे और संबंधित पक्षों को आपूर्ति करेंगे ताकि वे विवाद के निपटारे पर एक समझौते पर पहुंच सकें। यदि पीएलए पीयूएस की सहायता से पार्टियों के बीच समझौता होता है, तो पीएलए पीयूएस द्वारा पार्टियों के बीच समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार एक निर्णय पारित किया जाएगा।

16) अब प्रश्न यह उठता है कि क्या धारा 22सी के तहत मुकदमेबाजी पूर्व चरण में किसी पक्ष द्वारा संदर्भ दिया जाता है कि क्या पीएलए पीयूएस सुलह विफल होने की स्थिति में धारा 22सी की उपधारा (8) को लागू करके गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला कर सकता है?

17) भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य के [4] ***मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच*** ने पैरा 1 8 में निम्नानुसार टिप्पणी की है

"स्थायी लोक अदालत का कर्तव्य विवाद को स्थगित करने के बजाय पक्षों को एक समझौते में लाना है। स्थायी लोक अदालत के पास धारा22 सी(8) के प्रावधानों को सीधे लागू करने और पार्टी की इच्छा के विरुद्ध योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

18) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** बनाम अजय सिन्हा और अन्य के मामले में [5] ***पैरा28, 30, 37, 39 और41 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:*** -

28. यहां, तथापि, स्थायी लोक अदालत केवल एक मध्यस्थ की भूमिका को नहीं अपनाती है जिसका पुरस्कार चुनौती का विषय हो सकता है बल्कि एक अधिनिर्णायक की भूमिका भी हो सकती है। संसद ने स्थायी लोक अदालत को मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है। इसकी निर्णायक भूमिका है।

30. इस मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावे की वास्तविकता ही विवाद में है। जहां पक्षकारों ने अतिवादी रुख अपनाया है, वही प्रथम दृष्टया सुलह की विषय-वस्तु नहीं हो सकती है जो एक गैर-बाध्यकारी समझौते का प्रावधान करती है।

37. अधिनियम की धारा 22सी(2), 22-सी(8) और 22-एफ के साथ पठित धारा 22-सी(एल) में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को यह प्रावधान करके बाहर रखा गया है कि जब किसी भी पक्ष द्वारा स्थायी

[4] 2008 (4) जेसीआर 12 (जेएचआर)
[5] 2008 (7) एससीसी 454

लोक अदालत में किसी विवाद को पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में निपटाने के लिए आवेदन किया जाता है, तो पीएलए ऐसा करेगा, और दूसरे पक्ष को ऐसे मामले में सिविल कोर्ट में जाने से रोका जाता है।

39. *यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में, धारा 22-सी (8) के पीछे मुख्य उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि "अधिकांश छोटे मामले जिन्हें नियमित अदालतों में नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में ही सुलझाया जाएगा।*

41. हमें *एक ऐसे कानून के निर्माण से बचना चाहिए जो अधिनियम की धारा 22-सी की उप-धारा (8) को ध्यान में रखते हुए स्थायी लोक अदालत में इतनी व्यापक शक्ति प्रदान करेगा। स्थायी लोक अदालत को प्रारंभ में ही प्रश्न तैयार करने चाहिए। हालांकि, हम एक कानून बनाने का इरादा नहीं रखते हैं, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, कि स्थायी लोक अदालत ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करेगी, लेकिन इस बात पर जोर देगी कि इसे उचित सावधानी और सावधानी के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसे किसी भी विवाद को यह आभास नहीं देना चाहिए कि शुरू से ही वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत लगाए गए प्रतिबंधों में जाए बिना अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में इसकी एक न्यायिक भूमिका है।*

19) भारत संचार निगम लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के साथ-साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि पीएलए के पास सीधे धारा 22 सी (8) को लागू करने और योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; यदि मामले में तथ्यों और कानून के विवादित प्रश्न शामिल हैं, तो पीएलए धारा 22 सी की उप-धारा (8) को लागू करके शुरू से ही योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और पार्टियों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित मंच से संपर्क करने का निर्देश देगा।

20) हालांकि, यदि नोटिस पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाता दस्तावेज दावे की वास्तविकता पर विवाद नहीं करते हैं और दलील के साथ आते हैं, तो दावेदार दावा की गई राशि का हकदार नहीं है, हालांकि, कम राशि का हकदार है और सुलह के लिए सहमत है पीएलए पीयूएस उप-धारा (4) के तहत सुलह कार्यवाही शुरू करेगा और पार्टियों को निपटान तक पहुंचने में सहायता करेगा। इसके बाद, यदि पीएलए पीयूएस पाता है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है, तो यह उपधारा (7) के तहत संभावित निपटान की शर्तों को तैयार करेगा और पार्टियों को उनकी संबंधित राय के लिए आपूर्ति करेगा। यदि पीएलए द्वारा तैयार किए गए संभावित निपटान की शर्तों को प्राप्त करने के बाद, पीयूएस पार्टियों ने अपने संबंधित दावों को कम कर दिया है और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो पीएलए पीयूएस धारा 22 सी (8) को लागू करके मतभेदों को तय करने के लिए आगे बढ़ेगा और निष्पक्ष खेल, इक्विटी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करके योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित करेगा, अधिनियम की धारा 220 के तहत प्रदान की गई वस्तुनिष्ठता।

21) उदाहरण के लिए, यदि दावेदार बीमा कंपनी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में राशि 'A1' का दावा कर रहा है और

बीमा कंपनी दावे को पूरी तरह से अस्वीकार कर रही है कि दावा फर्जी है; दावेदार किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं है। पीएलए पीयूएस कार्यवाही को उसी समय छोड़ देगा और उप-धारा (4) (7) और (8) के तहत आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि, अगर बीमा कंपनी राशि के बजाय याचिका के साथ आ रही है एक दावेदार कुछ कम राशि का हकदार है राशि बी और पीएलए पीयूएस की सहायता से उप-धारा (4), (5), (6) और (7) के तहत शुरू की गई सुलह कार्यवाही के दौरान दावेदार और बीमा कंपनी के बीच अंतर को कम कर दिया गया है और पार्टियां अंतिम आंकड़े तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, पीएलए पीयू उप-धारा (8) को लागू करके अधिनियम की धारा 22 डी के तहत प्रदान किए गए निष्पक्ष खेल, इक्विटी, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता के सिद्धांत को लागू करके अंतिम राशि तक पहुंचने के लिए विवाद का फैसला कर सकता है।

22) संदीप एक्का ***बनाम*** सेलेस्टा केरकेटा [6] ***के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश*** ने पैराग्राफ संख्या 5 में निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने और 2008 के एमजेसी केस नंबर 28 में स्थायी लोक अदालत, सिमडेगा द्वारा पारित पुरस्कार को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी लोक अदालत, सिमडेगा ने प्रतिवादी के पक्ष में अंतरिम राहत का आदेश दिया है और इस तरह दावे का फैसला किया है। पूर्वोक्त सरलता में निर्धारित अनुपात से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी लोक अदालत के पास याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी सहमति के बिना योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करने की कोई शक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधिकार नहीं है। स्थायी लोक अदालत की प्रमुख भूमिका एक सुलहकर्ता की होती है, न कि अधिनिर्णायक की। **2009 (4) जेआई जेआर 129 के** साथ-साथ **2008 (3) जेआई जेआर 513** में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में यह माना गया है कि स्थायी लोक अदालत विवाद का फैसला कर सकती है, योग्यता के आधार पर केवल तभी जब सहमति हो, लिखित रूप में, पार्टियों द्वारा, विवाद के लिए। पूर्वोक्त निर्णयों में दिए गए कारणों के लिए, स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश। 2008 के एमजेसी केस नंबर 28 में सिमडेगा दिनांक 27 जुलाई। 2009 को रद्द किया जाता है और रद्द किया जाता है।

23) उप मंडल प्रबंधक, शिलांग और अन्य ***बनाम वाद*** के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ***/ झरना घोष*** [7] ***ने*** पैराग्राफ संख्या 10,11, 12 और 14 में निम्नानुसार टिप्पणी की है

10. अधिनियम की धारा 2 2 ग की उपधारा (4), (5), (6) और (7) में यह विशेष रूप से उपबंधित किया गया है कि स्थायी लोक अदालत, उपधारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाहियों के संचालन के दौरान, पक्षकारों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के उनके प्रयास में सहायता करेगी और आवेदन के प्रति प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थायी के साथ सद्भाव से सहयोग करे आवेदन से संबंधित विवाद के निपटारे में लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निदेश का अनुपालन करना। जब पूर्वोक्त सुलह कार्यवाहियों में एक स्थायी लोक

[6] एआईआर 2011 झारखंड 130
[7] एआईआर 2011 गुवाहाटी 205

अदालत की यह राय है कि ऐसी कार्यवाहियों में निपटान के तत्व मौजूद हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो यह विवाद के संभावित निपटान की शर्तें तैयार कर सकता है और संबंधित पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए दे सकता है और यदि पक्षकार विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, वे निपटान करार पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसकी शर्तों में एक पंचाट पारित करेगी और प्रत्येक संबंधित पक्ष को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगी। हालांकि, यदि पार्टियां उप-धारा (7) के तहत एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहती हैं, तो स्थायी लोक अदालत करेगी, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में, पार्टियों के अनुमोदन से, विवाद का फैसला करेगा।

11. धारा 22C (7) के प्रावधानों के संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से ट्रांसपायर करता है कि स्थायी लोक अदालत को विवाद के संभावित निपटारे की शर्तों को तैयार करना होगा और संबंधित पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए देना होगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा ठीक ही कहा गया है, पार्टियों के बीच विवाद के संभावित निपटारे के लिए स्थायी लाक अदालत के विद्वान सदस्यों द्वारा कभी भी ऐसी कोई पहल नहीं की गई थी। विद्वान स्थायी लोक अदालत द्वारा न तो कोई टिप्पणी की गई और न ही कोई राय व्यक्त की गई कि क्या संभावित निपटान के लिए निपटान का कोई तत्व मौजूद है।

12. स्थायी लोक अदालत की स्थापना का मूल प्रयोजन पक्षकारों के बीच बिना मुकदमेबाजी के विवाद के निपटारे के लिए पहल करना है। हालांकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि प्रतीत होता है, विद्वान स्थायी लोक अदालत द्वारा सुलह के लिए ऐसा प्रयास स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

14. स्थायी लोक अदालतों को पक्षकारों के बीच विवाद के निपटारे के लिए अपने ज्ञान, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने का पवित्र कर्तव्य सौंपा गया है। स्थायी लोक अदालत को अपने दम पर निपटान की शर्तों की पेशकश करनी चाहिए। तत्पश्चात्, विवाद के पक्षकारों को समळौते पर पहुंचने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। यदि वे अपने निपटान की शर्तों की पेशकश करते हैं, तो इसे स्थायी लोक अदालत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या यदि वे स्थायी लोक अदालत द्वारा प्रस्तावित निपटान की शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो भी एक पुरस्कार पारित किया जा सकता है, जैसा कि पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। उपर्युक्त के अलावा, स्थायी लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं ले सकती। इसके बाद भी पक्षकारों द्वारा विवाद का निर्णय करने के लिए स्थायी लोक अदालत को योग्यता के आधार पर लिखित सहमति दी जानी चाहिए। जब तक पक्षकारों द्वारा विवाद का निर्णय करने के लिए योग्यता के आधार पर लिखित सहमति नहीं दी जाती है, तब तक स्थायी लोक अदालत अधिनियम की धारा 22 सी (8) के संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी।

24) उप मंडल प्रबंधक (सुप्रा) के मामले में संदीप एक्का (सुप्रा), गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की टिप्पणी कि पीडीए अधिनियम की धारा 22 सी (8) के संदर्भ में योग्यता के आधार पर मुद्दे पर निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करेगा, केवल पक्षों द्वारा सभी उचित सम्मान के साथ लिखित सहमति दिए जाने के बाद ही मुझे प्रभावित नहीं करता है। मेरी विनम्र राय में यदि पार्टियों ने उप-धाराओं (4), (5), (6) और (7) के तहत शुरू

और आयोजित सुलह कार्यवाही के दौरान अपने विवादों को कम कर दिया है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे हैं, तो यह पीएलए पीयूएस को उप-धारा (8) को लागू करने का अधिकार क्षेत्र देगा ताकि निष्पक्ष खेल इक्विटी के सिद्धांतों को लागू करके अंततः मार्जिन तय किया जा सके, (घ) अधिनियम की धारा 22घ के अंतर्गत यथा उपबंधित नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता। ऐसी स्थिति में अंतिम आंकड़े पर आने के लिए किसी लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

25) वर्तमान में, बीमा कंपनी द्वारा यह विशेष रूप से कहा गया है कि लोक अदालत वर्तमान विवाद का फैसला नहीं कर सकती है क्योंकि दावे को साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता होती है। उप-धारा (4) के तहत कभी भी कोई सुलह कार्यवाही शुरू नहीं की गई, पीएलए पीयूएस ने कभी भी सहायता नहीं की, पार्टियों को उप-धारा (5) और (6) के तहत सौहार्दपूर्ण निपटान की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देशित किया। न ही पीएलए पीयूएस ने कभी यह राय दी कि सौहार्दपूर्ण निपटान की संभावना थी और न ही पीएलए पीयूएस ने कभी भी उप-धारा (7) के तहत आवश्यक संभावित निपटान की शर्तें तैयार की हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पीएलए पीयूएस ने उप-धारा (4), (5), (6) और (7) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे उप-धारा (8) को लागू किया है और योग्यता के आधार पर मामले का फैसला किया है जैसे कि पीएलए पीयूएस नियमित अदालत है। इसलिए, कानून की नजर में आक्षेपित पुरस्कार को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह मुझे पंजाब राज्य बनाम जलौर सिंह (सुप्रा) के पैरा 9 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की याद दिलाता है जिसे यहां पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

26) निर्णय के साथ भाग लेने से पहले, मैं नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा

27) यदि अधिनियम की धारा 20 के तहत लोक अदालत का संदर्भ लिया जाता है, तो लोक अदालत प्राकृतिक न्याय, समानता के सिद्धांत को लागू करके किसी भी जबरदस्ती या अनुचित दबाव का उपयोग किए बिना, पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचने के लिए राजी करती है। यदि लोक अदालत में समझौता हो जाता है तो तदनुसार अधिनिर्णय पारित किया जाएगा। हालांकि, यदि पक्षकार निपटान की संभावना का पता लगाने के लिए लोक अदालत के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचते हैं, तो लोक अदालत के पास न्यायालय को संदर्भ वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जहां से यह प्राप्त हुआ था।

28) यदि पीएलए पीयूएस को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और अन्य पार्टी विवादों के संबंध में पूर्व मुकदमेबाजी चरण में धारा 22 सी के तहत संपर्क किया जाता है, तो सीएल उद्देश्य फर्जी है और आसानी में तथ्यों और कानून के विवादित प्रश्न शामिल हैं और पीएलए पीयूएस के हस्तक्षेप से इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, तो सुलह कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और पीएलए पीयूसी के पास विवाद को सीधे तय करने के लिए धारा 22 सी (8) को लागू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। हालांकि, यदि धारा 22सी की उप-धारा (4), (5), (6) और (7) के तहत सुलह की कार्यवाही के दौरान आवेदन के पक्षकारों ने अपने विवादों को कम कर दिया है और अंतिम आंकड़े पर नहीं आ पाए हैं, तो उप-धारा (8) पीएलए को लागू करके पीयूएस अधिनियम की धारा 22 डी के तहत प्रदान किए गए निष्पक्ष खेल, इक्विटी, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता के सिद्धांतों को लागू करके मतभेदों का फैसला कर

सकता है।

29) याचिका की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 - दावेदार अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

30) इस निर्णय की प्रतियां माननीय मुख्य न्यायमूत के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ राज्य के भीतर सभी जिला न्यायाधीशों, लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालतों को अग्रेषित की जाएंगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा